न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 – 41/2016

तारीख रजू – 05.07.2016

उनवान

1. अमरसिंह उम्र 33 वर्ष पुत्र सम्पतिया
2. भौरीलाल उम्र 22 वर्ष पुत्र सम्पतिया

समस्त जाति जाटव (चमार) निवासी लालारामकापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. नवल पुत्र फूली
2. रामकेश पुत्र श्योचंद
3. हरकेश पुत्र श्योचंद

समस्त जाति मीना निवासी लालारामकापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (स्टे)

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट पक्ष– प्रार्थीगण

श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट पक्ष – अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 30.10.2017

संक्षेप्त मे प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि भूमि खाता सं0 53 मे वर्णित खसरा नं0 289/452 क्षेत्रफल 0.08 हेक्टयर, 290 क्षेत्रफल 0.46 हेक्टयर, 291 क्षेत्रफल 051 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.05 ग्राम भादोली तहसील टोडाभीम मे स्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

व कब्जे की भूमि है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। प्रार्थीगण जाति से जाटव (चमार) है जो अनुसूचित जाति से आते है तथा अप्रार्थीगण जाति से मीना है जो अनुसूचित जनजाति मे आते है प्रार्थीगण कमजोर व दलित वर्ग के है जबकि अप्रार्थीगण झगडालू व लठ्ठ वाले व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते रहते है तथा भूमि विवादित पर जबरन कब्जा करने व गॉव से भगाने की धमकी देते है और काश्त नही करने देते है तथा लठ्ठ लेकर खडे हो जाते है कानूनन प्रार्थीगण की इस भूमि मे अप्रार्थीगण को कोई राईट किसी भी प्रकार का पैदा नही होता है। अब काश्त व बुबाई का समय है। प्रार्थीगण अपनी भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र को दिनांक 30.06.2016 को काश्त व बोने गये तब अप्रार्थीगण हाथो मे लाठीया लेकर आ गये और धमकी दी कि तुम लोग खेतो पर पैर मत रखना नही तो तुम्हे जान से मार देगे। प्रार्थीगण ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुबिधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है तथा रिलिफ चाही है कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु नोटिस विपक्षीगण जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से उनके वकील उपस्थित होकर जबाव पेश किया तथा कथन किया कि भूमि विवादित को समपतिया ने गैरसायलान को दिनांक 08.07.1983 को मुबलिग 16000 रूपया मे विकय कर लिखापढी पाच रूपया के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर दी है, गवाही गवाहन करा दी है तथा गैरसायलान का ही कब्जा है, झूठा मुकदमा किया है, सायल ग्राम चंदीला मे रहता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विवादित की खातेदारी रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा खातेदार है, विवाद कब्जा का है जो दावा मे साक्ष्य आने पर ही निस्तारण होगा। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान स्वीकार कर दोनो पक्षो को भूमि विवादित खसरा नं0 289/452 क्षेत्रफल 0.08

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

हेक्टयर, 290 क्षेत्रफल 0.46 हेक्टयर, 291 क्षेत्रफल 051 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.05 ग्राम भादोली तहसील टोडाभीम की मौका की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पांबद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner